



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129116

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20478 वर्ष 2026

संदीप कुमार गौतम और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभय मिश्रा, देवेंद्र कुमार तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., कुणाल सिंह, सुरेश बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. तिवारी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह जमानत आवेदन आवेदकों को मुकदमा अपराध संख्या 26/2026 अंतर्गत धारा 329(3), 329(4), 352, 351(2), 61, 115(2), 338, 336(3), 340(1) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - सेन पश्चिम पारा, जिला - कानपुर नगर में आवेदकों को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एक सिविल विवाद को गलत और गैर-कानूनी तरीके से आपराधिक अपराध में बदल दिया गया है। इससे पहले, श्रीमती उषा देवी ने मौजूदा सूचनाकर्ता बीना देवी के खिलाफ 16.09.2025 को एक सिविल केस दायर किया था। आवेदक संख्या 1 श्रीमती उषा देवी के पति हैं, जबकि आवेदक संख्या 2 श्रीमती उषा देवी के सगे भाई हैं। यह कहा गया है कि आवेदकों और श्रीमती उषा देवी पर दबाव बनाने के लिए, सलाह-मशविरे के बाद 19.01.2026 को यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि सूचनाकर्ता श्रीमती बीना

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



देवी ने पहले श्रीमती उषा देवी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयतनामा तैयार किया था और उन्होंने इसे कभी चुनौती नहीं दी। पार्टियों के बीच पहले से ही एक सिविल विवाद चल रहा था और *प्रथम दृष्टया* आवेदकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। एफआईआर में आवेदक संख्या 2 का नाम नहीं है, जबकि आवेदक संख्या 1 पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये अपराध विशेष रूप से मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई योग्य हैं। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकों के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक 24.04.2026 से जेल में बंद हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और विचारण में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत की आवेदन का विरोध किया और कहा कि अपराध में शामिल होने के संबंध में आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वे जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विवादित ज़मीन पर कब्ज़ा बनाए रखने के लिए आवेदकों ने झूठे दस्तावेज़ तैयार किए थे।

5. मैंने पक्षों के विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, किसी आपराधिक इतिहास के न होने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत की जाती है।

8. आवेदकों - **संदीप कुमार गौतम और कृष्ण चंद गौतम**, जो उक्त आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बॉन्ड और समान राशि का दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदकों को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वे सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेंगे। यदि इस शर्त का पालन नहीं किया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदकों को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-क / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आईपीसी की धारा 174-क / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) वाद की शुरुआत, (2) आरोप तय करना, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों के बयान के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"